



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1925/DL/8/2024-APCR

दिनांक: 23.01.2025

सेवा में,

श्री संजय अरोरा  
पुलिस आयुक्त,  
दिल्ली पुलिस,  
पुलिस आयुक्त कार्यालय, दिल्ली  
पुलिस मुख्यालय,  
जय सिंह रोड, नई दिल्ली, 110001  
Email Id: [cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in](mailto:cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in)

विषय: पड़ोसी द्वारा जातिसूचक गाली गलौज करना, पानी गिराना, धमकाना, उन्हें वहां से भगा देने की धमकी देना तथा विभिन्न अन्य प्रकार से प्रताड़ना के संदर्भ में सुश्री रामकली, 8/14, अस्पताल सड़क, बीरबल पार्क के नजदीक, जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली की दिनांक 04.09.2024 की शिकायत।

संदर्भ: पुलिस उपायुक्त, दक्षिण पूर्व जिला, सरिता विहार नई दिल्ली पत्र सं 6324/AC-II/HAC/SED दिनांक 05.12.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **31.01.2025 को 12:45 P.M** बजे सिटिंग /सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. यह है भी सूचित किया जाता है कि प्रकरण मे याचिककर्ता को आयोग के समक्ष सुनवाई मे उपस्थित होने के लिए अनुमति देने की व्यवस्था करे।

5. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
Email ID : [hari.rammeena@ncst.nic.in](mailto:hari.rammeena@ncst.nic.in)

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

सुश्री रामकली,  
8/14, अस्पताल सड़क,  
बीरबल पार्क के नजदीक,  
जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली- 110014 (पुलिस उपायुक्त, दक्षिण पूर्व जिला, सरिता विहार नई दिल्ली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 05.12.2024 की प्रति आपकी जानकारी हेतु संलग्न है।)

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: [www.ncst.nic.in](http://www.ncst.nic.in)

Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777